निग्रा० 3007-दो/2015

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

1– शीला बाई पत्नी श्री उदय सिंह कुशवाह

2– काशीराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
निवासीगण –ग्राम बरखेडा पिपरई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 7.9.15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

गुड्डी बाई पत्नी राजाराम
निवासी – ग्राम बरखेडा पिपरई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत 2 पिपरई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/ए–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3007–एक / 2015 अपील

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
4.1.16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त पिपरई तत्का. तहसील मुंगावली हाल तहसील पिपरई जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 28 अ–12/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–7–12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक व्दारा ग्राम वरखेड़ा पिपरई की आराजी कमांक 359/4/1 (ग) रकबा 2.862 हैक्टर के सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 28 अ–12/ 2014–15 पंजीबद्ध करके मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी करने का निर्णय लिया। आवेदकगण ने सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की। इस आपत्ति आवेदन का निराकरण किये बिना राजस्व निरीक्षक ने अंतरिम आदेश दिनांक 13–7–12 पारित किया तथा किसी न्यायालय से स्थगन हों तो प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 28 अ–12/ 2014–15 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 13–7–12 इस प्रकार है :– " प्रकरण पेश। अनावेदक मुन्नालाल पुत्र देवसिंह कुशवाह निवासी ग्राम एंव अभिभाषक श्री राधामोहन तिवारी व्दारा भी आपत्ति पेश की। आवेदक एंव अनावेदक को पुनः सूचना पत्र जारी हो। अनावेदक आपत्ति के संबंध में यदि किसी न्यायालय	